

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO 196/2022  
Misc. Applicant no. 38 of 2023**

**IN THE MATTER OF  
HARIOM GUPTA**

...APPLICANT

VERSUS

**NAGAR PALIKA PARISHAD,  
LONI & ORS.**

...RESPONDENT

**INDEX**

<b>S.NO</b>	<b>PARTICULARS</b>	<b>PAGE NO</b>
1.	Action Taken Report On Behalf Of The Nagar Palika Parishad, Loni In Compliance With The Order Dated 12.07.2024.	1-6
2.	A true copy of the minutes of the meeting of the Principal Secretary is annexed here as ANNEXURE - 1.	7- 8
3.	A true copy of the letter dated 23rd July 2024 is annexed here as ANNEXURE - 2.	9 - 10
4.	A copy of the letter no. 194/NV - 5 - 2024 dated 23rd July 2024 from the office of Municipal Council Loni, Ghaziabad, to the executive engineering, is annexed herewith as Annexure A-3.	11
5.	A copy of the EO's letter and the land allotment document is annexed herewith as Annexure A-4.	12

6.	A copy of the minutes of the meeting dated 24.07.2024 is annexed herewith as Annexure A-5.	13 - 16
7.	A copy of the fund transfer confirmation is annexed herewith as Annexure A-6.	17 - 20
8.	A copy of the invitation of tender is annexed herewith as Annexure A-7.	21 - 28
9.	A copy of the recent photographic evidence is annexed herewith as Annexure A-8.	29 - 37

THROUGH



Priyanka Swami  
Counsel For Nagar Panchayat, Loni, U.P.  
F- 13, Ground Floor, Jangpura Extension,  
New Delhi- 110014  
8800656660

Date: 29.07.2024

**BEFORE THE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI  
ORIGINAL APPLICATION NO 196/2022  
Misc. applicant no. 38 of 2023**

**IN THE MATTER OF :**

HARIOM GUPTA

...APPLICANT

VERSUS

NAGAR PALIKA PARISHAD,  
LONI & ORS.

...RESPONDENT

**ACTION TAKEN REPORT ON BEHALF OF THE NAGAR  
PALIKA PARISHAD, LONI IN COMPLIANCE WITH THE  
ORDER DATED 12.07.2024.**

1. That it is respectfully submitted that on 12th July 2024, the matter was taken up for hearing. Subsequently, on 18th July 2024, the Principal Secretary, Urban Development directed through video conferencing to take necessary actions in compliance with his directions and the executive officer was directed to provide the amount details of the 15th Finance Commission. A true copy of the minutes of the meeting of the Chief Secretary is annexed here as **ANNEXURE - 1.**
2. That it is respectfully submitted that on 23rd July 2024, the Executive Officer (EO) wrote a letter (Letter No. 515/2024-25) to the Joint Secretary, Principal Secretary to submit the amount available in the 15th financial commission account. A true copy of the letter dated 23rd July 2024 is annexed here as **ANNEXURE - 2.**

3. That it is respectfully submitted that the joint secretary wrote the letter to the DM, and EO requesting immediate action as per law in compliance with the orders passed in the OA. NO. 196 OF 2022, regarding the tied grant. A copy of the letter no. 194/NV - 5 - 2024 dated 23rd July 2024 from the office of Municipal Council Loni, Ghaziabad, to the executive engineering, is annexed herewith as **Annexure A-3.**
4. That on 23rd July 2024, the EO responded to the demand for land made by Jal Nigam through Letter No. 518, allotting 15,000 square meters of land for the project development. A copy of the EO's letter and the land allotment document is annexed herewith as **Annexure A-4.**
5. That it is pertinent to mention here that an immediate meeting of the 15th Finance Commission was called by circulation from the DM, as the Chairman of the Commission, on 24th July 2024, in this meeting, an amount of ₹53,63,77,370.00 (Rupees Fifty-three Crore Sixty-three Lakh Seventy-seven Thousand Three Hundred and Seventy Only) was approved by the said committee. A copy of the minutes of the meeting dated 24.07.2024 is annexed herewith as **Annexure A-5.**
6. That it is respectfully submitted that On 26th July 2024, the approved amount of ₹53,63,77,370.00 was transferred to Jal

Nigam. A copy of the fund transfer confirmation is annexed herewith as **Annexure A-6**.

7. That it is respectfully submitted that, considering the urgency of the matter Jal Nigam has issued notice for the - E-tenders with regard to the DPR, the U.P Jal Nigam invited E-tenders, which will be opened for technical bids on 21st August 2024. The work, as mentioned in the Detailed Project Report (DPR), is expected to be completed by 20th September 2026, following the finalisation of the lowest bid. A copy of the E-tender is annexed herewith as **Annexure A-7**.

8. That it is respectfully submitted that the answering respondent is under a mandatory obligation and is regularly extracting the sewer from the low-lying area by installing a sewer suction machine. Two tankers have been installed, each having a capacity of 5000 litres respectively, collecting around 20000 litres per day and disposing of it at the STP for scientific disposal of the sewage. A copy of the recent photographic evidence is annexed herewith as **Annexure A-8**.

9. That it is respectfully submitted that the undersigned is under a mandatory obligation to provide public health and sanitation within its jurisdiction. Further, it is humbly submitted that the action taken by the answering respondents may be considered positively, and

250

will ensure and personally pursue the compliance of the orders passed by the Hon'ble Tribunal.

THROUGH



Priyanka Swami  
Counsel For Nagar Panchayat, Loni, U.P.  
F- 13, Ground Floor, Jangpura Extension,  
New Delhi- 110014  
8800656660

Date: 29.07.2024

**IN THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL  
PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI**

**ORIGINAL APPLICATION NO. 196 OF 2022**

MISC APPLICATION IN DISPOSED OF CASES No. 38/2023

Hariom Gupta

...Applicant

Versus

Nagar Palika Parishad, Loni & Ors.

...Respondent

**AFFIDAVIT**

I, **Sh. Krishna Kant Mishra** aged about 40 years s/o **Sh. Ram Lawat Mishra** is presently posted as **Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Loni, Uttar Pradesh** having an office at **Loni, Ghaziabad, Uttar Pradesh** presently in Delhi.

1. That I am posted as stated above and well conversant with the facts of the present case and as such competent to swear this affidavit before this Tribunal.

That the accompanying report has been drafted by our counsel upon my instructions.

3. That the contents of the accompanying reply are true and correct and the knowledge has been derived from official records and nothing material has been concealed therefrom.



*(Signature)*

[Signature]

DEPONENT

**VERIFICATION**

Verified on solemn affirmation at New Delhi on this 29 JUL 2024 day of 2024, that the contents of the foregoing affidavit are true and correct to the best of my knowledge and no part of it is false and nothing material has been concealed therefrom.

*Raviyank*  
I identified the deponent who has signed in my presence

NOTARY  
RENU AGARWAL  
Delhi  
Regd. No. 17806  
GOVERNMENT OF INDIA  
ATTESTED  
NOTARY PUBLIC  
(INDIA)

[Signature]

DEPONENT

29 JUL 2024

समय परिवर्तन/ बैठक/ वीडियो कान्फ्रेंसिंग  
दिनांक 18.07.2024 को पूर्वान्ह 11:00 से 11:30 बजे  
संख्या: एन0जी0टी0-176(1)/नौ-5-2024-02रिट/2024

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 2-राज्य मिशन निदेशक, स्वच्छ भारत मिशन (नगरीय), नगरीय निकाय निदेशालय।
- 3-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 4-संयुक्त प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 5-जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 6-नगर आयुक्त, नगर निगम, गाजियाबाद।
- 7-मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।
- 8-अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, (लोनी) लोनी गाजियाबाद,  
खोड़ा मकनपुर (गाजियाबाद)।
- 9-अधिसासी अधिकारी, नगर पंचायत, फरीदनगर, जनपद-गाजियाबाद।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ:दिनांक: 17 जुलाई, 2024

विषय: मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित विभिन्न वादों पारित आदेशों के अनुपालन में विचार-विमर्श हेतु आयोजित समीक्षा बैठक/वीडियो कान्फ्रेंसिंग में प्रतिभाग किये जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक शासन द्वारा पूर्व में प्रेषित पत्र संख्या-एन0जी0टी0-176/नौ-5-2024-02रिट/2024 दिनांक 12.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण में योजित निम्नलिखित वादों पारित आदेशों के अनुपालन में विचार-विमर्श हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 18.07.2024 को अपरान्ह 01:00 से 02:00 बजे के मध्य बापू भवन स्थित कार्यालय कक्ष में आयोजित बैठक/वीडियो कान्फ्रेंसिंग में प्रतिभाग किये जाने की सूचना दी गयी थी, अपरिहार्य कारणोंवश उक्त बैठक/वीडियो कान्फ्रेंसिंग के समय में परिवर्तन करते हुए अब दिनांक 18.07.2024 को ही पूर्वान्ह 11:00 से 11:30 के मध्य आयोजित की जायेगी:-

क्र0सं0	वाद संख्या का विवरण	पारित आदेश	अगली सुनवाई
1.	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 संख्या-38/2023 in ओ0ए0 संख्या-196/2022, Hariom Gupta & Ors. Vs. Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. व अन्य।	पारित आदेश दिनांक 02.07.2024	दिनांक 12.07.2024
2.	मा0 राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या-710/2023 Sushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors.	पारित आदेश दिनांक 18.04.2024	दिनांक 24.07.2024
3.	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-06/2012 निजामुद्दीन वेस्ट एसोसिएशन बनाम यूनिजन ऑफ इण्डिया व अन्य।	पारित आदेश दिनांक 04.07.2024	दिनांक 02.08.2024

4.	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-274/2022 Prem Aggarwal & Ors Govt. of NCT of Delhi & Ors.	पारित आदेश दिनांक 30.04.2024	दिनांक 08.08.2024
5.	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-1002/2018 अभिष्ठ कुसुम गुप्ता बनाम उ0प्र0 राज्य एवं अन्य।	पारित आदेश दिनांक 20.03.2024, 01.05.2024	दिनांक 12.08.2024
6.	मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 संख्या-877/2022, Paryavaran Mitra Vs State of Uttar Pradesh व अन्य।	पारित आदेश दिनांक 07.05.2024	दिनांक 23.08.2024
7.	Execution Application No.33/2021 In O.A No-68/2021 Sushil Raghav Vs. State of Uttar Pradesh & Ors.	पारित आदेश दिनांक 16.05.2024	दिनांक 02.09.2024

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया उपरोक्त आयोजित बैठक/वीडियो कान्फ्रेंसिंग में समस्त सुसंगत सूचनाओं सहित प्रतिभाग करने के साथ ही बैठक के उपयोगार्थ सूचना शासन को दिनांक 15.07.2024 तक नगर विकास अनुभाग-5 की ई-मेल so.nagar.05@gmail.com पर उपलब्ध करने का कष्ट करें।

उक्त बैठक में लखनऊ मुख्यालय के अधिकारीगण भौतिक रूप से तथा लखनऊ से बाहर के अधिकारीगण वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया जाना है। बैठक का लिंक निम्नवत् है:-

<https://meet.google.com/fsu-xgzc-vnx>

सुवदीय  
16.07.2024

( कल्याण बनर्जी )  
संयुक्त सचिव।

### संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि:-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-निजी सचिव, प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 शासन को प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव महोदय के अवगतार्थ प्रेषित।
- 2-श्री अतुल भारती, विधिक सहायक, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3-सुश्री प्रांजलि त्रिपाठी, पी0एम0यू0, नगर विकास विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।

आज्ञा से,  
16.07.2024

( कल्याण बनर्जी )  
संयुक्त सचिव।

# कार्यालय नगर पालिका परिषद, लोनी (गाजियाबाद)

पत्रांक सं०- 515 / न०पा०परि०लो० / 2024-25

दिनांक- 23 जुलाई 2024

सेवा में,

संयुक्त सचिव,  
नगर विकास अनुभाग-5,  
उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

**विषय:-** मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-38/2023 एवं 196/2022 हरिओम गुप्ता एवं अन्य बनाम नगर पालिका परिषद, लोनी एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, लोनी-गाजियाबाद की पूजा कालोनी हेतु प्रस्तावित लोनी सीवरेज योजना (वार्ड-48 पूजा कालोनी) की डी०पी०आर० अनुमानित लागत रू० 7083.95 लाख के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (प्रथम) उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद के पत्र सं०-889/एन.जी.टी.ओ.ए. संख्या-196/2022/03 दिनांक 22.07.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके क्रम में मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-38/2023 एवं 196/2022 हरिओम गुप्ता एवं अन्य बनाम नगर पालिका परिषद, लोनी एवं अन्य में नगर पालिका परिषद, लोनी क्षेत्रान्तर्गत स्थापित पूजा कालोनी की सीवरेज की समस्या के निवारण हेतु पूजा कालोनी में सीवर लाईन बिछाये जाने की डी.पी.आर. (लोनी सीवरेज योजना (वार्ड-48 पूजा कालोनी)) मुख्य अभियन्ता (गा० क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद से मूल्यांकन उपरान्त अनुमानित लागत रू० 7063.95 लाख तैयार कर प्रस्तुत की गयी है।

उक्त के क्रम में सादर अवगत कराना है कि निकाय को 15वां वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) व बुनियादी अनुदान (Untied Grant) के रूप में समय-समय पर धनराशि प्राप्त हुई है, जिसके सापेक्ष निकाय द्वारा निविदा की प्रक्रिया नहीं की गयी है, जो निकाय के खाता में अवशेष है, जिसका विवरण निम्नवत् है:-

## 1- बुनियादी अनुदान (Untied Grant)

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	अनुदान विवरण	अवशेष धनराशि
01	2023-24	8/4290/320(3)/15वें वि०आ०/2023-24 दिनांक: 21 फरवरी 2024, प्रथम किश्त	08,57,48,499.00
02	2023-24	8/4470/320(3)/15वें वि०आ०/2023-24 दिनांक: 16 मार्च 2024, द्वितीय किश्त	08,57,48,499.00
योग			17,14,96,998.00

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेशानुसार बुनियादी अनुदान (Untied Grant) का उपयोग जलापूर्ति, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सेप्टेज प्रबन्धन सहित स्वच्छता, जल निकासी, सामुदायिक परिसम्पत्तियों का रख-रखाव, सड़कों, फुटपाथों एवं स्टीट लाईट तथा कब्रिस्तान और शमशानों का रख-रखाव में किये जाने के निर्देश प्राप्त हैं।

## 2- निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant)

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	अनुदान विवरण	अवशेष धनराशि
01	2021-22	8/2215/320(2)/15वें वि०आ०/2021-22 दिनांक 27 मई 2022, द्वितीय किश्त	05,42,58,000.00
02	2022-23	8/3009/320(2)/15वें वि०आ०/2022-23 दिनांक 28 मार्च 2023, प्रथम किश्त	11,23,80,702.00
03	2022-23	8/3548/320(3)/15वें वि०आ०/2022-23 दिनांक 12 सितम्बर 2023, द्वितीय किश्त	11,24,93,166.00
04	2023-24	8/4291/320(2)/15वें वि०आ०/2023-24 दिनांक 21 फरवरी 2024, प्रथम किश्त	12,86,22,751.00
05	2023-24	8/4469/320(3)/15वें वि०आ०/2023-24 दिनांक 16 मार्च 2024, द्वितीय किश्त	12,86,22,751.00
योग			53,63,77,370.00
कुल योग(1+2)			70,78,74,368.00

तरकाल

श्री अरुण

23.07.2024

-2-

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि शासनादेशानुसार निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) का उपयोग जलापूर्ति, सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन, सेप्टेज प्रबन्धन सहित स्वच्छता में किये जाने के निर्देश प्राप्त है।

उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराना है कि प्रमुख सचिव महोदय, उ०प्र० शासन, लखनऊ की अध्यक्षता में दिनांक 18 जुलाई 2024 को आहूत बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह निर्देश दिये गये हैं कि उपरोक्त में जो भी धनराशि व्यय होगी, उसे निकाय द्वारा ही वहन किया जायेगा।

उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत निकाय को निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) व बुनियादी अनुदान (Untied Grant) में कुल धनराशि अंकन-70,78,74,368.00 रुपये का प्रस्ताव तैयार किया गया है।

कृपया उपरोक्त प्रस्ताव स्वीकृति हेतु महोदय की सेवा में सूचनार्थ सादर प्रेषित।  
संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

23/7/24

(कृष्णकान्त मिश्र)  
अधिशाली अधिकारी  
नगर पालिका परिषद् लोनी,  
गाजियाबाद

पत्रांक व दिनांक-तदैव।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ व आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

- 1-प्रमुख सचिव महोदय, नगर विकास विभाग, लखनऊ।
- 2-निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय निदेशक, गोमतीनगर विस्तार, से०-7, लखनऊ।
- 3-महाप्रबंधक महोदय, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 4-जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
- 5-अधिशाली अभियन्ता, निर्माण खण्ड (प्रथम) उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद के पत्र सं०-889/एन. जी.टी.ओ.ए. संख्या-196/2022/03 दिनांक 22.07.2024 के क्रम में।

अधिशाली अधिकारी  
नगर पालिका परिषद् लोनी,  
गाजियाबाद

समयबद्ध / महत्वपूर्ण

संख्या:एन0जी0टी0-194 / नौ-5-2024-42रिट / 2023

प्रेषक,

कल्याण बनर्जी,  
संयुक्त सचिव,  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1-जिलाधिकारी, गाजियाबाद।  
2-अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद-गाजियाबाद।

नगर विकास अनुभाग-5

लखनऊ: दिनांक 23 जुलाई, 2024

विषय:- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 संख्या-38/2023 in ओ0ए0 संख्या-196/2022, Hariom Gupta & Ors. Vs. Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 पर अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अधिसासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद-गाजियाबाद के पत्र संख्या-515/न0पा0परि0लो0/2024-25 दिनांक 23.07.2024 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 संख्या-38/2023 in ओ0ए0 संख्या-196/2022, Hariom Gupta & Ors. Vs. Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद-गाजियाबाद में लोनी सीवरेज योजना (वार्ड-44 पूजा कालोनी) हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा तैयार किये गये आगणन अनुमानित लागत रू0 7063.75 लाख की धनराशि नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद-गाजियाबाद को निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) व बुनियादी अनुदान (Untied Grant) में उपलब्ध कुल धनराशि रू0 70,78,74,368.00 से कराये जाने के प्रस्ताव पर अनुमति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अवगत कराना है कि मा0 एन0जी0टी0 के उक्त आदेश पर अनुपालन सुनिश्चित कराये जाने हेतु प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में दिनांक 18.07.2024 को सम्पन्न बैठक में विषयगत परियोजना का वित्तीय वहन नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद-गाजियाबाद के निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) व बुनियादी अनुदान (Untied Grant) में उपलब्ध धनराशि से नियमानुसार कराये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

3- अतएव इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित एम0ए0 संख्या-38/2023 in ओ0ए0 संख्या-196/2022, Hariom Gupta & Ors. Vs. Nagar Palika Parishad, Loni & Ors. व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद-गाजियाबाद में लोनी सीवरेज योजना (वार्ड-44 पूजा कालोनी) हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा तैयार किये गये आगणन अनुमानित लागत रू0 7063.75 लाख की धनराशि नगर पालिका परिषद, लोनी, जनपद-गाजियाबाद को निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) व बुनियादी अनुदान (Untied Grant) में उपलब्ध धनराशि से नियमानुसार कराने का कष्ट करें।

उल्लेखनीय है कि विषयगत प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली के समयबद्ध आदेश से आच्छादित है। अतएव व्यक्तिगत ध्यान/शीर्ष प्राथमिकता अपेक्षित है।

संलग्नक:यथोक्त।

(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्त

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रबन्ध निदेशक, उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 2-निदेशक, नगरीय निकाय निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
- 3-मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र), उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।

(आज्ञा से)  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव।

# कार्यालय नगरपालिका परिषद, लोनी गाजियाबाद

पत्रांक संख्या- 518 / न0पा0प0 / प्रस्ताव / 2024-25

दिनांक- 23 जुलाई, 2024

सेवा में,

अधिकाशासी अभियंता

निर्माण खण्ड (प्रथम),

उ0प्र0 जल निगम(नगरीय)

सी-9, सै0-1, आर0डी0सी0, राजनगर गाजियाबाद-201001

**विषय:-प्रस्तावित आई0पी0एस0 के निर्माण के सम्बन्ध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक आपके कार्यालय पत्रांक-875/कार्य-20/33 दिनांक 12.07.2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा मा0 एन0जी0टी0 में दायर याचिका संख्या-196/2022 में पारित आदेशों के अनुपालन में तथा संयुक्त सचिव, उ0प्र0 शासन लखनऊ के पत्र सं0 एन0जी0टी0-176(1)/नौ-5-2024-42 रिट/2023 नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 12.07.2024 द्वारा निकाय क्षेत्र की पूजा कालोनी में सीवरेज निकासी हेतु सीवर लाइन बिछाये जाने व पम्पिंग स्टेशन इत्यादि निर्माण कार्य की डी0पी0आर0 विचरन शीघ्रअतिशीघ्र प्राथमिकता पर किया जाना है, जिसके क्रम में प्रश्नगत क्षेत्र में सीवेज के निस्तारण हेतु प्रस्तावित आई0पी0एस0 के निर्माण हेतु लगभग 1500 वर्ग मीटर भूमि की मांग की गयी है।

उक्त के क्रम में तहसील लोनी द्वारा ग्राम लोनी (चकबन्दी बाहर) के खसरा नं0-273/4, क्षेत्रफल-0.5950 है0 राजस्व अभिलेख खतौनी के खाता संख्या-4124 पर श्रेणी-5-3-ड बंजर (सरकारी भूमि) दर्ज है, मौके पर खाली है, जिसमें से 0.2000 है0 भूमि गढी कटैया शमशान घाट हेतु प्रस्ताव भेजा गया है एवं उक्त गाटे में से 1500 वर्ग मीटर भूमि आई0पी0एस0 के निर्माण हेतु उपयुक्त है, जिसका नजरी नक्शा व नकल खतौनी संलग्न है एवं उक्त खसरा संख्या-273/4 में 0.2450 है0 भूमि अवशेष है, जो मौके पर खाली है। ग्राम लोनी (चकबन्दी बाहर) खसरा नम्बर-273/4 रकबा 0.5950 है0 में से 1500 वर्ग मीटर भूमि का प्रस्ताव आई0पी0एस0 के निर्माण हेतु संस्तुति सहित प्रेषित है। जिसका विवरण निम्नवत् है:-

क्र0सं0	योजना	ग्राम का नाम	गाटा संख्या	कुल क्षेत्रफल	कुल क्षेत्रफल में से प्रस्तावित भूमि	अन्य विवरण
1	प्रस्तावित आई0पी0एस0 का निर्माण	ग्राम लोनी (चकबन्दी बाहर)	273/4	0.5950 है0	1500 वर्ग मीटर	उक्त भूमि खुशहाल पार्क लोनी में स्थित है। जो राजस्व अभिलेखों में बंजर दर्ज है तथा मौके पर 0.2450 है0 भूमि अवशेष है।

संलग्नक-उपरोक्तानुसार।

*(Handwritten Signature)*

(कृष्ण कान्त मिश्र)

अधिकाशासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद लोनी

गाजियाबाद

**पत्रांक एवं दिनांक-तदैव।**

**प्रतिलिपि:-** जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु सादर प्रेषित।

अधिकाशासी अधिकारी

नगर पालिका परिषद लोनी

गाजियाबाद

संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित एम0ए0 संख्या-38/2023 एवं ओ0ए0 संख्या-196/2022 हरिओम गुप्ता बनाम नगर पालिका परिषद लोनी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 के अनुपालन में  
बाई-सर्कुलेट स्वीकृति

आज दिनांक 24.07.2024 को संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित एम0ए0 संख्या-38/2023 एवं ओ0ए0 संख्या-196/2022 हरिओम गुप्ता बनाम नगर पालिका परिषद लोनी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 के अनुपालन में 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद लोनी में प्राप्त/उपलब्ध धनराशि से कराये जाने वाले विकास कार्यों के आगणन की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति हेतु जिलाधिकारी महोदय की अध्यक्षता में गठित समिति की स्वीकृति बिना बैठक आहुत किये बाई-सर्कुलेट आधार पर की गई, क्योंकि प्रकरण में एन0जी0टी0 नई दिल्ली द्वारा अगली सुनवाई की तिथि 31.07.2024 निर्धारित की गयी है।

2- संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित एम0ए0 संख्या-38/2023 एवं ओ0ए0 संख्या-196/2022 हरिओम गुप्ता बनाम नगर पालिका परिषद लोनी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 के अनुपालन में वित्तीय वर्ष 2021-22 द्वितीय किश्त, वर्ष 2022-23 प्रथम किश्त व द्वितीय किश्त, वर्ष 2023-24 प्रथम एवं द्वितीय किश्त में 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत निर्दिष्ट (Tied Grant) अनुदान की अवशेष धनराशि के रूप में नगर पालिका परिषद-लोनी को प्राप्त/अवशेष धनराशि अंकन रूपये-53,63,77,370/-से कराये जाने वाले कार्य का अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद-लोनी द्वारा प्रेषित प्रस्ताव संख्या:-521/15वाँ वित्त का0यो0/न0पा0प0लोनी /2024 दिनांक:-23 जुलाई 2024, उत्तर प्रदेश शासन के नगर विकास अनुभाग-9 के पत्र संख्या-714ए/नौ-9-7-99-1बी/99 दिनांक 12.03.1999, पत्र संख्या-2719/नौ-9-2005 दिनांक 16.08.2005 पत्र संख्या:-710/नौ-9-2008-199 ज/2007 दिनांक 27.02.2008, पत्र संख्या-1306/नौ-9-10-199ज/2006 दिनांक 18.06.2010, पत्र संख्या-1359/नौ-9-12-199ज/2006 दिनांक 10.9.2012, पत्र संख्या-1359/नौ-9-12-199ज/2006 दिनांक 21.09.2012, पत्र संख्या-381/नौ-9.16.193ज/13 दिनांक 04.03.2016 एवं पत्र संख्या-677/9-16-193ज/13, दिनांक 18.05.2016 तथा पत्र संख्या-1774/नौ-9-2020-47ज/13 दिनांक 08.09.2020 में दी गयी व्यवस्था के अनुसार प्रस्तावित कार्य की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृत हेतु शासनादेश संख्या-714ए/ 9-7-991बी/99 दिनांक 12 मार्च, 1999 के द्वारा गठित कमेटी/समिति के समक्ष बाई-सर्कुलेट प्रस्तुत किया गया है।

3- उक्त प्रश्नगत प्रस्ताव पर निर्णय हेतु उपरोक्त शासनादेशानुसार गठित कमेटी/समिति के अध्यक्ष एवं सदस्यगण व अन्य का अधिकारीगण का विवरण निम्नवत है:-

- 1-श्री इन्द्र विक्रम सिंह, जिलाधिकारी, गाजियाबाद।
- 2-श्री रणविजय सिंह, अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/वरि0प्र0अ0 स्था0नि0 गाजियाबाद।
- 3-श्री चन्द्रेश कुमार सिंह, प्रभारी अधिकारी(स्था0नि0) गाजियाबाद।
- 4-श्रीमती रंजीता धामा, अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद-लोनी।
- 5-श्री रामराजा, अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0, निर्माण खण्ड-2, गाजियाबाद।
- 6-श्री अरूण प्रताप सिंह, अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-प्रथम, उ0प्र0 जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद।
- 7-श्री के0के0 मिश्र, अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद-लोनी।

P.T.O





  
13 EE UPSW(U)





4- नगर पालिका परिषद, लोनी को वित्तीय वर्ष 2021-22 द्वितीय किश्त, वर्ष 2022-23 प्रथम किश्त व द्वितीय किश्त, वर्ष 2023-24 प्रथम एवं द्वितीय किश्त में 15 वें वित्त आयोग के अंतर्गत निर्दिष्ट (Tied Grant) अनुदान की प्राप्त/अवशेष उपलब्ध धनराशि, जिससे विकास कार्य कराये जाने प्रस्तावित हैं, का विवरण निम्नवत है:-

क्र०सं०	वित्तीय वर्ष	अनुदान विवरण	धनराशि
01	2021-22	8 / 2215 / 320(2) / 15वें वि०आ० / 2021-22 दिनांक 27 मार्च, 2022 (द्वितीय किश्त) अवशेष धनराशि	5,42,58,000.00
02	2022-23	8 / 3009 / 320(2) / 15वें वि०आ० / 2022-23, दिनांक 28 मार्च, 2023 (प्रथम किश्त)	11,23,80,702.00
03	2022-23	8 / 3548 / 320(3) / 15वें वि०आ० / 2022-23 दिनांक 12 सितम्बर 2023 (द्वितीय किश्त)	11,24,93,166.00
04	2023-24	8 / 4291 / 320(2) / 15वें वि०आ० / 2023-24 दिनांक 21 फरवरी, 2024 (प्रथम किश्त)	12,86,22,751.00
05	2023-24	8 / 4469 / 320(3) / 15वें वि०आ० / 2023-24 दिनांक 16 मार्च, 2024 (द्वितीय किश्त)	12,86,22,751.00
		<b>कुल योग</b>	<b>53,63,77,370.00</b>

स्वीकृत अनुदान राशि का उपयोग शासनादेशानुसार निम्न प्रकार से मूलभूत नागरिक सुविधाओं पर किया जाना है :-

1- जलापूर्ति

2- सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन

3- सेप्टेज प्रबन्धन सहित स्वच्छता

उपरोक्त बिन्दुओं में से प्राथमिकता के आधार पर स्वीकृति धनराशि का उपयोग 1-सीवरेज तथा ठोस अपशिष्ट प्रबन्धन 2- सेप्टेज प्रबन्धन सहित स्वच्छता के मदों पर धनराशि निम्न विवरण के अनुसार व्यय की जानी है।

5- वित्तीय वर्ष 2021-22 द्वितीय किश्त, वर्ष 2022-23 प्रथम किश्त व द्वितीय किश्त, वर्ष 2023-24 प्रथम एवं द्वितीय किश्त में स्वीकृत धनराशि की उपयोग अवधि चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अनुसार 31 मार्च, 2025 तक निर्धारित है। उक्त अनुदान राशि से कराये जाने वाले कार्य की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति जिलाधिकारी की अध्यक्षता में उक्तानुसार गठित समिति के द्वारा की जानी है। प्रश्नगत स्वीकृत धनराशि का उपयोग, संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित एम०ए० संख्या-38/2023 एवं ओ०ए० संख्या-196/2022 हरिओम गुप्ता बनाम नगर पालिका परिषद लोनी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 के अनुपालन में निम्न प्रकार से किया जाना है।

प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त धनराशि का उपयोग, प्रस्तावित निम्न कार्य पर किया जाना है।

क्र० सं०	कार्य का नाम	अनु० लागत
1	नगर पालिका परिषद, लोनी क्षेत्रान्तर्गत लौनी सीवरेज योजना (वार्ड संख्या-48 पूजा कालौनी) सीवर बिढाने एवं तत्सम्बन्धी कार्यों की योजना (सम्बन्धी पत्रावली पर उपलब्ध डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (2024-2025) जो अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड प्रथम, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद द्वारा तैयार किया गया है)।	7063.95 लाख रुपये

क्रमशः पेज 3 पर

EE UPJN(U)

6- उपरोक्तानुसार कुल प्रस्तावित व्यय अंकन ₹ 70,63,95,000-00 (₹ सत्तर करोड तरेसठ लाख पिच्चानवें हजार), के सापेक्ष वर्तमान में 15वें वित्त आयोग से निर्दिष्ट (Tied Grant) अनुदान में शासन से प्राप्त/नगर पालिका परिषद लोनी में उपलब्ध अनुदान की धनराशि अंकन ₹ 53,63,77,370-00 (₹ तिरेपन करोड तिरसठ लाख सतहत्तर हजार तीन सौ सत्तर) का हस्तान्तरण अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-प्रथम, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद को किया जाना प्रस्तावित है।

7- शासनादेश संख्या-714ए/9-7-991बी/99 दिनांक 12 मार्च, 1999 के द्वारा गठित कमेटी/समिति द्वारा नगर पालिका परिषद-लोनी द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव संख्या-521/15वें वित्त का०यो०/न०पा०प०लोनी/2024 दिनांक:-23 जुलाई 2024 में प्रस्तावित उपरोक्त कार्य के स्टीमेट के देखने से विदित हुआ कि प्रस्तावित कार्य का आंगणन सम्बन्धित कार्यदायी संस्था के सहायक अभियन्ता द्वारा तैयार कराकर अधिशासी अभियन्ता व अधिक्षण अभियन्ता उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद द्वारा आंगणन का सत्यापन किया गया है। उपरोक्त प्रस्तुत प्रश्नगत प्रस्ताव में निकाय द्वारा यह भी अवगत कराया गया है कि उपरोक्त प्रस्तावित कार्य किसी अन्य योजना में प्रस्तावित नहीं है, ना ही कराये गये हैं, प्रथम बार प्रस्तावित हैं। सभी कार्य निर्धारित मानक एवं गुणवत्ता के अनुरूप स्थल पर सम्पन्न कराये जायेंगे।

8- चूंकि शासनादेश संख्या-1359/9-9-12-199ज/2006 दिनांक 10 सितम्बर-2012 के परिपालन में नगर पालिका परिषद-लोनी द्वारा प्रस्तावित कार्य के आंगणन की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति प्रदान किये जाने हेतु संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन से प्राप्त मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित एम०ए० संख्या-38/2023 एवं ओ०ए० संख्या-196/2022 हरिओम गुप्ता बनाम नगर पालिका परिषद लोनी व अन्य में पारित आदेश दिनांक 12.07.2024 के अनुपालन में अनुरोध किया गया है, को दृष्टिगत रखते हुए बाई-सर्कुलेशन आधार पर समिति द्वारा निर्णय लिया गया है कि शासनादेश के क्रम में कार्य की स्वीकृति उपरान्त उसके क्रियान्वयन एवं परियोजना के कार्य की मानक के अनुरूप गुणवत्ता, वित्तीय अनुशासन को बनाये रखने और उसका अनुपालन करने की पूरी जिम्मेदारी आहरण, वितरण अधिकारी (मा० अध्यक्ष एवं अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद-लोनी) तथा कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-प्रथम, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद तीनों की संयुक्त रूप से होगी।

9- उक्त प्रस्तावित धनराशि ₹ 53,63,77,370-00 (₹ तिरेपन करोड तिरसठ लाख सतहत्तर हजार तीन सौ सत्तर) के अतिरिक्त शेष धनराशि का हस्तान्तरण कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-प्रथम, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद को हस्तान्तरित की जा रही उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) मद में भविष्य में निकाय को प्राप्त होने वाली धनराशि से हस्तान्तरित की जायेगी।

10- संयुक्त सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, नगर विकास अनुभाग-05 लखनऊ के कार्यालय पत्र संख्या-एन०जी०टी०-194/नौ-5-2024-42रिट/2023 दिनांक 23.07.2024 के द्वारा यह निर्देश दिये गये हैं कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण नई दिल्ली में योजित एम०ए० संख्या-38/2023 एवं ओ०ए० संख्या-196/2022 हरिओम गुप्ता बनाम नगर पालिका परिषद लोनी व अन्य में पारित

P.T.O

आदेश दिनांक 12.07.2024 के अनुपालन में नगर पालिका परिषद लोनी जनपद गाजियाबाद में सीवरेज योजना (वार्ड सं०-44 पूजा कॉलोनी) हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम (नगरीय) द्वारा तैयार किये गये आगणन अनुमानित लागत रु० 7063.75 लाख की धनराशि नगर पालिका परिषद लोनी को निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) व बुनियादी अनुदान (Untied Grant) में उपलब्ध धनराशि दिये जाने हेतु निर्देश प्राप्त हुए हैं। अतः उक्त के क्रम में प्रस्तावित उक्त कार्य को कराये जाने की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति एवं उक्तानुसार वर्तमान में निकाय में उपलब्ध निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) की धनराशि रु० 53,63,77,370-00 (रु० तिरेपन करोड तिरसठ लाख सतहत्तर हजार तीन सौ सत्तर) अग्रिम रूप में कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-प्रथम, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद को हस्तान्तरण किये जाने की स्वीकृति, इस शर्त के साथ प्रदान की जाती है कि निकाय शासन से निर्गत/जारी निर्देशों को दृष्टिगत रखते हुये निकाय स्तर पर प्रश्नगत प्रकरण में समयबद्ध रूप से नियमानुसार सभी औपचारिकतायें पूर्ण कर अग्रिम कार्यवाही करना सुनिश्चित करें। यहां विशेष रूप से यह भी उल्लेखनीय है कि कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-प्रथम, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद को बिल भुगतान आदि की प्रक्रिया करने से पूर्व यह आवश्यक सुनिश्चित करना होगा, कि शासन द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में कराये गये कार्य की गुणवत्ता जिला स्तर पर सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रश्नगत कार्य पूर्ण हो जाने की सुस्पष्ट आख्या मय फोटोग्राफ की सत्यापित प्रति सहित मुख्यालय पर उपलब्ध करानी होगी ताकि शासन के निर्देशों का पालन कर कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-प्रथम, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद को अग्रिम कार्यवाही हेतु निर्देश निर्गत किया जा सके। इसके साथ ही कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-प्रथम, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कराये जाने वाले कार्य का बोर्ड स्थल पर लगाना होगा, जिसमें उसका सभी पूर्ण ब्यौरा अंकित होगा। उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने का कार्यदायी संस्था अधिशासी अभियन्ता निर्माण खण्ड-प्रथम, उ०प्र० जल निगम (नगरीय) गाजियाबाद का व्यक्तिगत उत्तरदायित्व होगा।

  
अधिशासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद  
लोनी

  
अध्यक्ष  
नगर पालिका परिषद,  
लोनी

  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-प्रथम, उ०प्र०  
जल निगम (नगरीय)  
गाजियाबाद।

  
अधिशासी अभियन्ता  
निर्माण खण्ड-2 लो०नि०वि०  
गाजियाबाद।

  
प्रभारी अधिकारी (स्था०नि०)  
कलेक्ट्रेट-गाजियाबाद।

  
अपर जिलाधिकारी (प्र०)/  
वरि०प्रभारी (स्था०नि०)  
गाजियाबाद।


  
जिलाधिकारी  
गाजियाबाद।

कार्यालय  
पत्रांक- 1567 /21-एल०बी०सी०/गा०बाद/2024

जिलाधिकारी

गाजियाबाद।

दिनांक: 24 जुलाई 2024  
प्रतिलिपि:- मा० अध्यक्ष/अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद लोनी को सूचनार्थ एवं नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु।

  
प्रभारी अधिकारी (स्था०नि०)  
कलेक्ट्रेट, गाजियाबाद।

# कार्यालय नगर पालिका परिषद्, लोनी (गाजियाबाद)

पत्रांक सं०-524 / न०पा०परि०लो० / 2024-25

दिनांक: 25 जुलाई 2024

सेवा में,

अधिकासी अभियन्ता,  
निर्माण खण्ड (प्रथम),  
उ०प्र० जल निगम (नगरीय),  
गाजियाबाद।

**विषय:-** मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-38 / 2023 एवं 196 / 2022 हरिओम गुप्ता एवं अन्य बनाम नगर पालिका परिषद्, लोनी एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में नगर पालिका परिषद्, लोनी-गाजियाबाद की पूजा कालोनी हेतु प्रस्तावित लोनी सीवरेज योजना (वार्ड-48 पूजा कालोनी) की डी०पी०आर० अनुमानित लागत रू० 7063.95 लाख के सम्बन्ध में।

महोदय,


कृपया उपरोक्त विषयक संयुक्त सचिव महोदय, उ०प्र० शासन के पत्र संख्या-एन.जी.टी.-194 / नौ-5-2024-42रिट / 2023 नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ दिनांक 23 जुलाई 2024 द्वारा में मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-38 / 2023 एवं 196 / 2022 हरिओम गुप्ता एवं अन्य बनाम नगर पालिका परिषद्, लोनी एवं अन्य में नगर पालिका परिषद्, लोनी क्षेत्रान्तर्गत स्थापित पूजा कालोनी की सीवरेज की समस्या के निवारण हेतु पूजा कालोनी में सीवर लाईन बिछाये जाने की डी.पी.आर. (लोनी सीवरेज योजना (वार्ड-48 पूजा कालोनी)) मुख्य अभियन्ता (गा० क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद से मूल्यांकन उपरान्त अनुमानित लागत रू० 7063.95 लाख दिये जाने हेतु निर्देश दिये गये हैं।

उक्त के क्रम में अवगत कराना है कि जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद के पत्र सं०-1567 / एल० बी० सी०-21 दिनांक 24.07.2024 के द्वारा बाई सर्कुलेशन के माध्यम से समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि नगर पालिका परिषद्, लोनी क्षेत्रान्तर्गत स्थापित पूजा कालोनी की सीवरेज की समस्या के निवारण हेतु पूजा कालोनी में सीवर लाईन बिछाये जाने की डी.पी.आर. की अनुमानित लागत रू० 7063.95 लाख के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2021-22 द्वितीय किश्त, वर्ष 2022-23 प्रथम किश्त व द्वितीय किश्त, वर्ष 2023-24 प्रथम व द्वितीय किश्त में 15वें वित्त आयोग के अन्तर्गत निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) अनुदान की अवशेष धनराशि रूपये-53,63,77,370.00/- आपके विभाग को हस्तान्तरण किये जाने की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा अतिरिक्त शेष धनराशि का हस्तान्तरण उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के उपरान्त 15वां वित्त आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) मद में भविष्य में निकाय को प्राप्त होने वाली धनराशि से हस्तान्तरित की जायेगी।

उक्त के क्रम में नगर पालिका परिषद्, लोनी क्षेत्रान्तर्गत स्थापित पूजा कालोनी की सीवरेज की समस्या के निवारण हेतु पूजा कालोनी में सीवर लाईन बिछाये जाने हेतु धनराशि रूपये-53,63,77,370.00/-आपके विभाग को स्थानान्तरित की जानी है।

अतः आपसे अनुरोध है कि उपरोक्त धनराशि आपके विभाग को स्थानान्तरित करने हेतु मांग पत्र मय बैंक विवरण सहित इस निकाय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे उक्त धनराशि आपके विभाग को तत्काल स्थानान्तरित की जा सके, चूँकि प्रकरण मा० एन०जी०टी० से आच्छादित है, शीघ्रता प्रार्थनीय है।

**संलग्नक-उपरोक्तानुसार।**

  
(कृष्ण कान्त मिश्र)  
अधिकासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद्, लोनी  
गाजियाबाद

**पत्रांक व दिनांक-तदैव।**

**प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ सादर प्रेषित।**

- 1-प्रमुख सचिव महोदय, उ० प्र० शासन, लखनऊ।
- 2-संयुक्त सचिव महोदय, उ० प्र० शासन, नगर विकास अनुभाग-5, लखनऊ।
- 3-प्रबन्ध निदेशक महोदय, उ० प्र० जल निगम (नगरीय), लखनऊ।
- 4-निदेशक महोदय, स्थानीय निकाय निदेशालय, गोमतीनगर सेक्टर-7, लखनऊ।
- 5-जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
- 6-मुख्य अभियन्ता (गाजियाबाद क्षेत्र) महोदय, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।

अधिकासी अधिकारी  
नगर पालिका परिषद्, लोनी  
गाजियाबाद

264

## PFMS Generated Print Payment Advice

Approval date in PFMS: 26 Jul 2024		Payment Advice No.: C072441635290
Expiry date of PPA PFMS: 05 Aug 2024		Advice Print Date : 26 Jul 2024
PAN No. :		TAN No. :
Note For Branch: Kindly process the payment advice through CPSMS application by login through i-View(i-Sense) application and share 16 digit Acknowledgement (PI number) with the client.		
Contact Details	BANK	PFMS
Name:	ICICI Bank PFMS Team	
Email :	icicipfms@icicibank.com	Helpdesk-pfms@gov.in
Phone No.:	040 - 33593555	011-23343860
Note: For Agency: Kindly submit this advice duly signed to the branch at the earliest, post approval in PFMS system, to avoid any delay in payments.		

To,  
The Branch Head

ICICI BANK LTD  
GHAZIABAD,H.A.S.

We authorise the bank to debit our undernoted account maintained with the bank with batch amount and credit the beneficiary(ies) [#1] as per ANNEXURE-I uploaded to bank's central system through PFMS O/o CGA.

Bank Account No. 695601700305

Total Amount of Debit : Rs536377370.00

(Amount in words : Fifty-Three Crores Sixty-Three Lakhs Seventy-Seven Thousand Three Hundred Seventy)

No. Of Beneficiaries as per Annexure-I.

Batch No. C072441635290

*Biste*

Agency Seal

*Rel*

(Sign by Authorized Signatory)

(Sign by Authorized Signatory)

Name - \_\_\_\_\_

Name - \_\_\_\_\_

Designation - \_\_\_\_\_

Designation - \_\_\_\_\_

Mobile No - नगर पालिका परिषद, लोनी  
गजियाबाद

Mobile No - नगर पालिका  
गजियाबाद

To, FIFTEENTH CFC TIED NPP LONI  
GHAZIABAD

Ref: Account No.695601700305/ Payment Advice Number C072441635290

We confirm having received the captioned advice of credit(s) for payment today for further processing as per arrangement of bank on integrated PFMS-Bank payment system.

No. Of Beneficiaries : 1

Amount (in Rs.):536377370.00

Date & Time :

ICICI BANK LTD

Branch Seal

Branch Authorized Official

Agency to enter date of delivery in PFMS using option | E-Payment => PPA Submission Status

ANNEXURE -I						
(All page to be stamped and initial and last page to be signed in FULL with stamp)						
Payment Advice No.: C072441635290						
Sr.No.	Name of Beneficiary	PFMS Txn ID	Account Number:	IFSC/IIN/MICR	Aadhaar	Amount(In Rs.)
1	PROJECT MANAGER YAMUNA POLLUTION CONTROL UNIT I UP JAL NIGAM	C072441634933	xxxxxxxxxxxx4412	IBKL0000066		536377370.00
<b>Total Amount(Rs)</b>						<b>536377370.00</b>
Please acknowledge and do the needful as prescribed by bank to complete transactions.						

अधिशालसी अधलकारी/अध्यक्ष,  
महोदय/महोदया,

कृपया मा0 राष्ट्रीय हरित अभिकरण (एन0जी0टी0) में योजित ओ0ए0 सं0 38/2023 एवं 196/2022 हरिओम गुप्ता एवं अन्य बनाम नगरपालिका परिषद, लोनी एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में शासन एवं जिला स्तर की गृह कार्यवाही एवं जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद की अध्यक्षता में गठित समिति (विकास कार्यों के आगणन की प्रशासनिक/वित्तीय स्वीकृति) बाई- सर्कुलेट आधार पर बिना बैठक दिनोंक: 24-07-2024 के आदेश पत्र सं0 1567/21-एल0बी0सी0/गा0बाद/2024 दिनोंक: 24-07-2024 के पत्र के साथ-2 अधिशालसी अभियन्ता, निर्माण खण्ड (प्रथम), उ0प्र0 जल निगम (नगरीय), राजनगर-गाजियाबाद के पत्र सं0 909/विविध-11 /47 दिनोंक: 25-07-2024 द्वारा प्रकरण के निस्तारण के क्रम में अंकन- रू0 53,63,77,370-00 की राशि अपने विभाग में बैंक खाते में भुगतान किये जाने हेतु खाता विवरण उपलब्ध कराया गया है।

2- निकाय द्वारा दर्शाये गये विवरण एवं जिला स्तर पर गठित समिति द्वारा लिये गये निर्णय के अनुसार निकाय में 15 वें वित्त आयोग की निर्दिष्ट अनुदान (Tied Grant) जो वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2023-24 तक उपलब्ध राशि रू0 53,63,77,370-00 की राशि भुगतान की जानी है, अवगत कराना है कि उक्त योजना का खाता सं0 695601700305 शाखा प्रबन्धक, आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, राजेन्द्रनगर-गाजियाबाद में संचालित है। वर्तमान में इस खाते में रू0 71,89,69,879-00 जमा है, भुगतान किये जाने वाली राशि के अतिरिक्त राशि रू0 18,25,92,509-00 शेष है, जो ब्याज एवं टेकेदारों को भुगतान किये जाने वाली राशि है।

3- यदि आप पूर्व में उपरोक्तानुसार प्रेषित पत्र के क्रम में प्राप्त मांग की राशि से सहमत हो, तो निकाय के 15 वें वित्त आयोग के खाता सं0 695601700305 शाखा प्रबन्धक, आई0सी0आई0सी0आई0 बैंक, राजेन्द्रनगर-गाजियाबाद से अंकन- रू0 53,63,77,370-00 की राशि स्वीकृत कर भुगतान करना चाहे।

24  
लिपिक  
26/7/2024

स्वीकृत

  
अधिशालसी अधलकारी  
नगरपालिका परिषद, लोनी  
(गाजियाबाद)

  
अध्यक्ष  
नगरपालिका परिषद, लोनी  
(गाजियाबाद)

स्वीकृत एवं भुगतान :---

रू0 53,63,77,370-00 (तरेपन्न करोड़ तरेसठ लाख सतत्तर हजार तीन सौ सत्तर रू0)	रू0 53,63,77,370-00 (तरेपन्न करोड़ तरेसठ लाख सतत्तर हजार तीन सौ सत्तर रू0)
---	---

  
अधिशालसी अधलकारी  
नगरपालिका परिषद, लोनी  
(गाजियाबाद)

  
अध्यक्ष  
नगरपालिका परिषद, लोनी  
(गाजियाबाद)

V. No .....  
Cheque No.....  
Dated .....-.....-2024

V. No .....  
Cheque No.....  
Dated .....-.....-2024



# कार्यालय अधिशासी अभियन्ता

E-mail Id.: ypcupjn@gmail.com

निर्माण खण्ड (प्रथम), उ०प्र० जल निगम (नगरीय),  
सी-९, सै०-१, आर०डी०सी०, राजनगर, गाजियाबाद 201 001

पत्रांक १०९

/ विवर-11 / ५७

दिनांक 25/07/24

सेवा में,

अधिशासी अधिकारी,  
नगर पालिका परिषद,  
लोनी।

विषय:- मा० राष्ट्रीय हरित अभिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० संख्या-38/2023 एवं 198/2022 हरिओम गुप्ता एवं अन्य बनाम नगर पालिका परिषद, लोनी एवं अन्य में पारित आदेश के अनुपालन में नगर पालिका परिषद, लोनी-गाजियाबाद की पूजा कालोनी हेतु प्रस्तावित लोनी सीवरेज योजना (वार्ड-48 पूजा कालोनी) की डी०पी०आर० अनुमानित लागत रू० 7063.95 लाख के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 524/न०पा०परि०लो०/2024-25 दिनांक 25.07.2024 के सन्दर्भ में अवगत कराना है कि लोनी क्षेत्रान्तर्गत स्थापित पूजा (वार्ड-48) में सीवेज की समस्या के निस्तारण हेतु विरचित डी०पी०आर० अनुमानित लागत रू० 7063.95 लाख के सापेक्ष आपके द्वारा धनराशि रू० 536377370.00 इस खण्ड को उपलब्ध कराये जाने हेतु मांग पत्र मय बैंक विवरण सहित उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है, के क्रम में कृपया धनराशि निम्नलिखित खाता विवरण में उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

क्र० सं०	बैंक का नाम एवं शाखा	आई०एफ०एस०सी० कोड	खाता संख्या
1	IDBI Bank RDC Raj Nagar Ghaziabad	IBKL0000066	0066104000234412

भवदीय

  
25/7/24

(अरुण प्रताप सिंह)  
अधिशासी अभियन्ता

पृ०सं० एवं दिनांक-उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. जिलाधिकारी महोदय, गाजियाबाद।
2. मुख्य अभियन्ता (मा० क्षेत्र), उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।
3. अधीक्षण अभियन्ता, निर्माण मण्डल, उ०प्र० जल निगम (नगरीय), गाजियाबाद।

अधिशासी अभियन्ता



**OFFICE OF SUPERINTENDING ENGINEER**  
**Construction Circle, U.P. Jal Nigam (Urban),**  
**R-1, Sector-1 In Front of New Railway Station, Rajnagar,**  
**Ghaziabad (U.P.)**

Letter No: 1367 / Loni-Sewer-Pooja Colony / 01

Date: 24.07.2024

**NOTICE FOR INVITATION OF E-TENDER (NIT)**

On behalf of the Chairman, U.P. Jal Nigam (Urban) online E-Tender on percentage rate basis in Two Bid System for following works under Deposit Work are hereby invited on "TURNKEY" basis from the reputed contractors having requisite work experience & financial capabilities. The bidders should submit their bids only if they consider themselves eligible and are in possession of all the requisite documents.

Name of work & Location	Estimated cost of work put to bid in lacs (excluding GST & Including Labour Cess)	Earnest Money (Rs. In Lacs)	Cost of bid document	Period of completion	Last date & time of Submission of bid as specified in the bid documents	Time, date & place of opening of Technical Bid
<p><b>Name of Work:</b> -Loni Sewerage Scheme (Ward-48) Pooja Colony (NPP Loni):</p> <p><b>Location/ site:</b> - Pooja Colony (Ward-48) of Nagar Palika Parishad, Loni.</p> <p><b>Work Requirement:</b> -Investigation and survey (on GIS basis) of the project area including soil investigation, Engineering (hydraulic, structural design as required), Procurement of all labour &amp; material, T&amp;P etc. and construction of various components complete.</p> <p><b>Key components of Work:</b> -</p> <p>(a) Laying of Sewer Lines using DWC HDPE Pipe for 200 mm dia. to 250 mm dia. and RCC NP-3 pipe for 300 mm dia. to 1400 mm dia.</p> <p>(b) Construction of Manholes of different dimensions as per the provisions of Tender Documents</p> <p>(c) Construction of Sewer House connections: which includes construction of Sewer House connecting chambers, interconnecting chambers and making sewer House Connection using 160 mm dia. and 120 mm dia. DWC HDPE Pipe (SN-8 Class)</p> <p>(d) Interconnection of Proposed Sewer Gravity Mains to existing Sewer Gravity Mains</p> <p>(e) Reinstatement of B.O.E, CC Road, bituminous Road, Interlocking Tiles</p> <p><b>Work Programme:</b> - Deposit Work from Loni Nagar Palika Parishad.</p> <p><b>Nature of Bid:</b> -Bids are invited on percentage rate Turn-key basis.</p>	5503.37	55.04	20000.00 + 18% GST	24 Months (including Rainy season, if any And 3 months of testing & trial run)	Up to – 20.08.2024 till –17:00 Hrs-	On- 21.08.2024 at- 16:00 Hrs. in office of The Superintending Engineer Construction Circle, UP Jal Nigam (Urban), Ghaziabad

The Bid document may be downloaded from "https://tender.up.nic.in" w.e.f. 30.07.2024 at- 17:00 Hrs.

1. Pre bid meeting date, time venue: - 09.08.2024 at-13:00 Hrs. at office of The Superintending Engineer, Construction Circle, UP Jal Nigam (Urban), Ghaziabad.
2. The Bid should be valid for 120 days from the last date of submission of bids.
3. If the date of opening of technical bid happens to be a holiday, the bid shall be opened on the next working day at the same time for which no separate communication shall be sent.
4. Bidders having criminal record will not be allowed to participate in Bid process.
5. A person registered with any State Bar Council will not be eligible to participate in the Bid.
6. As per Government norms GST at applicable rates will be paid extra.

7. **Joint Venture: -**

- a. The Joint Venture is allowed with maximum two member out of which lead member has to be an Indian firm/company. Foreign companies can be part of Joint Venture.
- b. The lead member of the JV/Consortium must have minimum 51% of the Stake Holding. Member of Joint venture, other than the lead member, should have at least 30% Stake Holding.
- c. Lead member should have a turnover of at least 51% of the total turnover required.
- d. Lead member should have a Solvency of at least 51% of the total Solvency required
- e. project costing  $\leq 10$  Cr.-JV/Consortium shall have the required technical experience collectively.
- f. Project Costing  $> 10$  Cr. upto 25 Cr.-Lead member of JV/Consortium should have at least 30% technical experience of required technical experience.
- g. Project Costing  $> 25$  Cr.-Both members of JV/Consortium should have at least 30% technical experience of required technical experience.
- h. A member of JV/Consortium shall not participate either in individual capacity or as a member of another JV/Consortium in the same tender.
- i. Tender form shall only be submitted in the name of the JV/Consortium. Tender fees may be submitted by lead partner/JV.
- j. A single Performance Guarantee shall be submitted by the JV/Consortium in the name of the JV/Consortium.
- k. All the member of the JV/Consortium of Bidders shall be liable jointly and severally for the execution of the project.
- l. Tender for more than five projects of Amrut 2.0 will not be allotted to any firm as JV partner at any time. If a firm is allotted 5 tenders as JV partner, then that firm will not be able to participate in any tender as JV until one of the works of the allotted 5 tenders is finished and completion certificate have been issued by the concerned office. The above condition will not apply for individual participation in the tender.

8. **Eligibility**

(a) **Experience**

Contractors who inter-alia fulfill the following requirements shall be eligible to apply. Firm should have successfully completed and commissioned similar works mentioned below during last Ten years as on date of publication of NIT, satisfying followings: -

Three Completed, tested and commissioned works each costing not less than the amount equal to 30 % of estimated cost put to tender (i.e., Rs 1651.01-lacs).

OR

Two Completed, tested and commissioned works each costing not less than the amount equal to 40% of estimated cost put to tender (i.e., Rs 2201.35 lacs).

OR

One Completed, tested and commissioned work costing not less than the amount equal to 60% of estimated cost put to tender (i.e., Rs 3302.02-lacs).

**Similar work shall mean-Completed, tested and commissioned works of sewer laying, and associated infrastructure works.**

The experience must include one work of 2/3rd size of maximum diameter mentioned in BOQ of this NIT (i.e.  $2/3 \times 1400 = 933.33$  say 1000 mm Dia.) for a minimum length of 500 meters.

**The bidders may submit additional experience certificate to qualify in above particular condition categories if certificates submitted to fulfil financial criteria do not contain the category wise qualifying conditions.**

**Note:-**

- i. The Bidder should have experience of work contract, including testing & commissioning successfully in last 10 years as on date of publication of NIT.
- ii. In case of Turn Key projects experience of works / components put to tender namely Intake, WTP, OHT, T/W, CWR Cum Pumping Station/ZPS, Distribution Networks for water supply will also be considered accordingly.
- iii. The experience in foreign countries of a subsidiary or parent company will also be considered for qualification. In case the company is not registered in India, the experience has to be certified by the respective Embassy office/Apostille (in case of members of Hague Apostille Convention).
- iv. The works like SCADA/Automation/I.T. Solutions and construction of electric sub-station can be out sourced/sub-contracted to other firms after approval of Engineer-in-charge, but the main contractor will be responsible for the quality of work and its timely completion.

**(c) Average Annual Turnover: -**

Average annual financial turnover during the immediate last three consecutive financial years on construction works should be at least 30% of the project cost put to tender. Annual financial turnover shall be certified by statutory auditor.

**(d) Net Worth/ Profit & Loss :-**

The firm should have positive net worth in the immediate last financial year and the same should be certified by statutory auditor.

Further, net worth of all the partners in a JV should individually be positive.

**(e) Inflation Factor for experience on construction works:-**

The value of experience on construction works / Value of experience shall be brought to current costing level by enhancing the actual value of work at simple rate @7% per annum calculated from the date of completion to the date of publication of NIT.

A typical index is given below.

Year	Escalation/ Updation factor
Year 1	1.00
Year 2	1.07
Year 3	1.14
Year 4	1.21
Year 5	1.28

**(f) Solvency:-**

- “Solvency Certificate of minimum 40% of the tender value will be required to be submitted. Solvency Certificate issued by any Scheduled Commercial Bank shall be accepted, which will be valid for a period of 1 year from the date of issue unless otherwise mentioned.”

or

- “Solvency Certificate issued by District Magistrate will also be accepted, which will be valid for a period of 1 year from the date of issue unless otherwise mentioned.”

9. This NIT and other information/corrigendum/agenda and Instruction for bidders posted on website shall form part of bid document.

10. The quantities given in the Bill of Quantities are estimated and provisional, and are given to provide a

common basis for bidding. These are liable to change up to any extent for which no claim except as provided under contract shall be admitted.

11. The bid document consisting of Technical (eligibility) bid & financial bids including specifications, the bills of quantities of various types of items to be executed and the set of terms and conditions of the contract to be complied with and other necessary documents are available on "https://e-tender.up.nic.in".
12. The technical bid shall be opened first on due date and time as mentioned above. The time and date of opening of financial bid of contractors, qualifying the technical bid shall be communicated to them on a later date through portal.
13. If the Bidder feels that technical credentials of his own or other Bidders have been wrongly evaluated/verified, he may raise objections within 2 (two) working days from the date of uploading of result. No requests/objections shall be entertained beyond above limit; else it may be treated as an obstruction in tender process and shall be dealt with accordingly.
14. U.P. Jal Nigam (Urban) reserves the right to reject any prospective application or to cancel entire bid process without assigning any reason whatsoever.
15. E-tender document fee is non-refundable. It shall be deposited in the account of **Executive Engineer, Construction Division-I, U.P. Jal Nigam (URBAN) Ghaziabad** only by DD/RTGS/NEFT in Punjab National Bank, Branch-Rajnagar, RDC, Ghaziabad, District-Ghaziabad, A/c No.-4078000100290289, IFSC Code-PUNB0407800.
16. **Earnest Money:**
  - a) EMD will be 2% for works up to Rs 5.00 Cr. and 1% or Rs 10.00 Lacs whichever is higher for works above 5.00Cr.
  - b) EMD shall be paid through RTGS/FDR/Bank Guarantee issued by any scheduled commercial Bank.
  - c) Validity of BG will be at least **65** days beyond the validity of Tender.
  - d) In case of JV Earnest money may be submitted by lead partner/JV.
  - e) **The component of earnest money shall be deposited in the account of Executive Engineer, Construction Division-I, U.P. Jal Nigam (URBAN), Ghaziabad** only by DD/RTGS/NEFT in Punjab National Bank, Branch-Rajnagar RDC, Ghaziabad, District-Ghaziabad, A/c No.-4078000100290289, IFSC Code-PUNB0407800.
  - f) The bidder shall deposit tender fee and earnest money **separately** in account mentioned as above. Further he shall upload digitally signed copies of original receipt so bank showing clearly the above details and/ or the Bank Guarantee.
  - g) In case EMD is submitted in the form of FDR/Bank Guarantee, bidder should ensure that such **Original FDR/Bank Guarantee is mandatorily deposited in the office of Executive Engineer, Construction Division-I, U.P. Jal Nigam (Urban), Ghaziabad on the day of scheduled date (during office hours) of opening of Technical Bid**, either in person or by Speed Post. The liability for timely submission shall lie with the Bidder; U.P. Jal Nigam (Urban) shall not be responsible for delay on account of any reason whatsoever.
  - h) EMD submitted in the form of FDR/BG, shall be pledged in the favour of Executive Engineer, Construction Division-I, UP Jal Nigam (Urban) Ghaziabad. ***It is made clear that Tender Fee and Earnest Money deposited in any other form besides as mentioned above sub-para shall render the bid non-responsive.***
  - i) In case of JV the EMD should be in the name/ from the account of JV or lead partner as specified in the JV agreement.



17. All the Bank Guarantees submitted towards EMD/Performance Security/Additional Performance Security should be verifiable and en-cashable from a branch situated in a city where the office of Divisional Officer is located.
18. All the documents as specified in the technical bid/eligibility bid document should be uploaded within the period of bid submission. U.P. Jal Nigam (Urban) will not be liable for incomplete/inaccurate / non-submission of bid for any reason whatsoever including technical reasons. It is made clear that separate submission of originals of any documents (**except Bank Guarantee**) other than scanning and uploading them, are not required, unless called for, after opening of financial bid.
19. The bid submission shall become invalid if:
- (i) The bidder is found ineligible.
  - (ii) The bidder does not upload all the documents as stipulated in the bid document.
  - (iii) If any discrepancy is noticed between uploaded documents and originals/hard copies submitted later.
  - (iv) If subsequent to due date of submission of bid and/or after its submission bidder makes any further communication/ representation with regard to the bid (whether technical or financial) than otherwise called for by the undersigned as a clarification.
  - (v) If a bidder does not quote any percentage above/below/par on the total amount of the tender or any section/sub head in percentage rate tender. Further the tender will not be considered as lowest bid.
  - (vi) Conditional tenders or Tenders without e-tender document fee & earnest money or invalid earnest money shall be summarily rejected.

20. **Additional Security/ Performance Security:**

The performance guarantee @10% of the contract cost will have to be submitted at the time of signing the contract in the form of FDR/ Bank Guarantee from any scheduled commercial Bank Alternatively on request of the contractor/firm, 5% of the performance Guarantee will be accepted at the time of signing of contract and rest 5% may be deducted from the initial running bill in a single deduction or at the rate of minimum 10% of the gross bill amount of running bill. However, in any case whole amount of balance performance guarantee shall be deducted within one year.

**Works for which the cost of the tender received is more than 10% below the estimated cost of works, in such situation, the performance security for first 10% below shall be 10% thereafter, additional performance security @ 0.50% for each 1% further below than 10% shall be deposited by the firm in order to safeguard against contractor leaving the works.**

21. Intending Bidders are advised to inspect and examine the site and its surroundings and satisfy themselves before submitting their bids as to the nature of the ground and sub-soil (so far as is practicable), the form and nature of the site, the means of access to the site, the accommodation they may require and in general shall themselves obtain all necessary information as to risks, contingencies and other circumstance which may influence or affect their bid. A bidder shall be deemed to have full knowledge of the site, whether he inspects it or not, and no extra charge consequent to any misunderstanding or otherwise shall be allowed. The bidder shall be responsible for arranging and maintaining at his own cost all materials, tools & plans, water, electricity access, faculties for workers and all others services required for executing the work unless otherwise specifically provided for in the contract documents. Submission of a bid by a bidder implies that he has read this notice and all other contract documents and has made himself aware of the instructions, scope and specifications of the work to be done and local conditions and other factors having a bearing on the execution of the work.

**Note:-Bidders will have to quote their rate inclusive of labour Cess but without GST which shall be paid after submission of appropriate document/proof on actual basis.**

272

22. Canvassing whether directly or indirectly, in connection with bids is strictly prohibited and the bids submitted by the bidders who resort to canvassing will be liable for rejection & will be debarred from future tender in U. P. Jal Nigam (Urban).
23. The available bid Capacity of the bidder at the expected time of bidding shall be more than the total estimated cost of the work for which the tender is invited.  
The available Bid Capacity shall be assessed using following formula: -  
Assessed Available Bid Capacity =  $2 \times A \times N - B$  Where,  
A = Maximum turnover during the last five financial year (corrected to the current level of value)  
N = Stipulated period of execution of the work for which the tender is invited in years.  
B = value of existing commitments to be completed during the execution period of bid.  
The turnover shall be corrected to the current level of value by multiplying with the up-dation factor given at point 8(d) of this N.I.T./bid document.
- Note:- The minimum Bid Capacity of each JV member must be in the ratio of their Stake holding in JV and sum of Bid Capacity of JV must be more or equal to required Bid Capacity.**
24. The bidder shall not be permitted to bid for works under supervisory control of Superintending Engineer and Executive Engineer concerned who is responsible for execution of work, in which his near relative is posted. He shall also intimate the names of persons who are working with him in any capacity or are subsequently employed by him and who are near relatives to any officer in the U.P. Jal Nigam (Urban). Any breach of this condition by the contractor would render him, if empaneled with U.P. Jal Nigam (Urban), liable to be removed from the approved list of contractors of U.P. Jal Nigam (Urban) and make him liable for blacklisting.
25. No Engineer or other Gazetted Officer employed in Engineering or Administrative duties in an Engineering U.P. Jal Nigam (Urban) of the STATE GOVERNMENT/State U.P. Jal Nigam (Urban) Undertaking is allowed to work as a contractor for a period of two years after his retirement from Government service, without the prior permission of the Government of U.P. in writing. This contract is liable to be cancelled if either the contractor or any of his employees is found any time to be such a person who had not obtained the permission of the Government of U.P. as aforesaid before submission of the bid or engagement in the contractor's service.

(C.S. Solanki)

Superintending Engineer

Dated:

Endt. No / /

Copy to the following for information and necessary action please: -

1. Managing Director, U.P. Jal Nigam (Urban), Lucknow.
2. Chief Engineer (PPRBD), U.P. Jal Nigam (Urban), Lucknow.
3. Chief Engineer (Nagar), U.P. Jal Nigam (Urban), 6, Rana Pratap Marg, Lucknow.
4. Chief Engineer (Ghaziabad zone), U.P. Jal Nigam (Urban), Ghaziabad.
5. District Magistrate, Ghaziabad.
6. Public Relation Officer, U.P. Jal Nigam (Urban), 6- Rana Pratap Marg, Lucknow along with 6 copies of brief version of tender notice for publishing the same in at least two National level News Papers (Hindi & English) on two consecutive days and for uploading the same on UPJN web site. (Encl. – As above in 6 set.)
7. All Superintending Engineer, U.P. Jal Nigam (Urban) Ghaziabad Zone.
8. Executive Engineer. EDP Cell U.P. Jal Nigam (Urban), 6- Rana Pratap Marg, Lucknow.
9. All Executive Engineer, U.P. Jal Nigam (Urban), Ghaziabad Zone.
10. Executive Engineer, Construction Division-I, UP Jal Nigam (Urban), Ghaziabad.
11. Executive Officer, Nagar Palika Parishad, Loni, Distt. Ghaziabad.
12. Notice Board.

Superintending Engineer

6




**OFFICE OF SUPERINTENDING ENGINEER**  
**Construction Circle, U.P. Jal Nigam (Urban),**  
**R-1, Sector-1 In Front of New Railway Station, Rajnagar,**  
**Ghaziabad (U.P.)**

Letter No:	1367 / Loni-Sewer-Pooja Colony / 01	Date:	24.07.2024
------------	-------------------------------------	-------	------------

**E-Tender Notice**

On behalf of the Chairman, U.P. Jal Nigam (Urban) online e-tenders for execution of “Investigation and survey (on GIS basis) of the project area including soil investigation, Engineering (hydraulic, structural design as required), Procurement of all labour & material, T&P etc. and construction of various components complete for Loni Sewerage Scheme (Ward-48) Pooja Colony of Nagar Palika Parishad, Loni, Distt. Ghaziabad, U.P., India after successful testing and commissioning of following works on Turn-key basis,” under Deposit Work Programme. Bids are invited in two bid system on percentage rate basis from eligible, reputed and experienced bidders.

E-tender documents will be available for download from 30.07.2024 at- 17:00 Hrs., Pre- Bid meeting will be held on dated 09.08.2024 at 13:00 hrs. in the office of under signed. E-bid can be submitted till 20.08.2024 up to 17:00 Hrs. and technical bid shall be opened on 21.08.2024 at 16:00 Hrs. in the office of The Superintending Engineer, Construction Circle, U.P. Jal Nigam (Urban), Ghaziabad in presence of contractor or their authorized representative. E-tender Cost is Rs. 20000.00+GST @18%. Details are available on U.P. Govt. e-procurement portal <http://etender.up.nic.in> & U.P. Jal Nigam (Urban) website [www.jn.upsde.gov.in](http://www.jn.upsde.gov.in).

  
 (C.S. Solanki)  
 Superintending Engineer







Time: 07-27-2024 10:50  
Note: ward number

Powered by NoteCam



Time: 07-27-2024 10:50  
Note: ward number

Powered by NoteCam



Time: 07-27-2024 10:50  
Note: ward number

Powered by NoteCam







Time: 07-27-2024 10:50  
Note: ward number

Powered by NoteCam



